

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2234

उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2024

सोमवार, 14 श्रावण, 1946 (शक)

पश्चिम बंगाल में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

2234. सुश्री सयानी घोष:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य में वर्ष-वार और जिले-वार कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) राज्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी रही; और

(घ) क्या सरकार विशेषकर दक्षिण 24 परगना जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार करने अथवा नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोल्लेखन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है, उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करना है। विगत दस वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) की संख्या, वर्ष-वार और जिला-वार अनुबंध-I में दी गई है।

(ख और ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), जो एमएसडीई की पीएमकेवीवाई स्कीम के कार्यान्वयन में एक प्रशिक्षण भागीदार है, द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्योरा और वित्तीय-वर्ष 2015-16 से वित्तीय-वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

चूंकि उपर्युक्त अनुबंध-I और अनुबंध-II में बहुत बड़े हैं, अतः इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट के लिंक www.msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/lok-sabha पर देखा जा सकता है।

(घ) कौशल विकास केंद्र मांग आकलन के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा, उभरते जाँब मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए, नए पाठ्यक्रम लगातार तैयार किए जा रहे हैं और उद्योगों, शिक्षाविदों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से मौजूदा पाठ्यक्रमों को भी उन्नत किया जा

रहा है तथा एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।
